सामुदायिक सुविधाओं की स्थापना

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–1

संख्या : सी0एस0 86/9 आ–1–98

लखनऊ : दिनांक : जुलाई 24, 1998

//कार्यालय ज्ञाप//

विषय : प्रदेश में दूर संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हेतु रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराना

प्रदेश में विभिन्न स्तर के टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना हेतु। विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद की भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासन ने सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित मानकों के अनुसार दूर संचार विभाग को भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है :–

I-	नगर निगम वाले विकास प्राधिकरणों में	1000 वर्गमीटर 50: मूल्य पर।
II-	अन्य स्थानों पर	1500 वर्गमीटर (आवासीय दर की आधी दर पर)

2– विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद टेलीफोन विभाग को यह भूमि, केवल टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हेतु आवंटित करेगें, आवासीय इंकाइयों के लिए नहीं।

3– यह रियायत एक्सचेंज स्थापना हेतु केवल नयी योजनाओं (प्रथम पांच वर्ष) में 50: मूल्य पर इस शर्त के साथ दी जाय कि एक्सचेंज, आवंटन केदो वर्ष में बना लिया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : सी0एस0 86(1)/9 आ–1–98 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–10, उत्तर प्रदेश, शासन।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु लखनऊ।

आज्ञा से,

रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या–2944 / 9–आ–3–98–32 एल0यू0सी0 / 96

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 17 सितम्बर, 1998

विषय : निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल तथा डेन्टल कालेज की स्थापना हेतु मानक सिद्धान्त।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा को रोजगारपरक एवं व्यवहारिक बनाये जाने हेतु उसके तकनीकीकरण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज तथा डेन्टल कालेज खोले जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त नीति की घोषणा के पश्चात प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में इंजीनिरिंग कालेज व मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किहए गये हैं जिसके आधार पर सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा सम्बन्धित काउसिंलों अर्थात आल इण्डिया हाउन्सिल फार टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया तथा डेन्टल काउन्सिल आफ इण्डिया में अनुमति पत्र हेतु आवेदन दिए गये हैं। सम्बन्धित काउन्सिलों द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि संस्थ की भूमि महायोजना में वांछित भू–प्रयोग के विपरीत है।

इंजीनियरिंग कालेज व मेडिकल काजेज के लिए निर्धारितमानक के अनुसार न्यूनतम 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि नगर के विकसित क्षेत्र में इतनी भूमि एक साथ उपलब्ध होना कठिन है। अतः इन संस्थाओं द्वारा अधिकांशतः नगरीयकरण क्षेत्र से बाहर कृषि भू–उपयोग की भूमि क्रय की गयी है। इस दृष्टिकोण से भी कि इन कालेजों के लिए सघन क्षेत्र से दूर शैक्षिक एवं शान्त वातावरण उपलब्ध हो सके इन संस्थाओं द्वारा भूमि का क्रय किया गया है। अतः राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जिन संस्थाओं को निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग अथवा केडिकल कालेज हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया है, उनके मामलों में महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही उदारतापूर्वक एवं समयबद्ध रूप से किए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध मं पूर्व में जारी किए गय शासनादेश संख्या–511 / 9–आ–3–98–32 एल0यू0सी0 / 96 दिनाँक 20 अप्रैल, 1998 के क्रम में श्री राज्यपाल महादय उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–41(1) के अधीन निम्न निदेश देते है :–

(1) सम्बन्धित संस्था द्वारा मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज व इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग व प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र को संलग्न कर प्रस्तुत किया जायेगा। उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। जिनमें राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी हो चुका है।

(2) भू–उपयोग परिवर्तन के आवेदन पत्र पर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(3) प्रस्ताव पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आख्या आवश्यकतानुसार ही प्राप्त की जायेगी।

(4) शासन द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर निर्णय प्राधिकरण की आख्या प्राप्त होने के पश्चात एक माह के अन्दर ले लिया जायेगा।

(5) प्रस्ताव में जितनी कृशि भू–उपयोग की भूमि का भू–उपयोग परितर्वन प्रस्तावित है उतनी ही भूमिम महायोजना में बाद में यथा समय कृषि उपयोग में बढ़ाई जायेगी।

(6) भू–उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् मानचित्र स्वीकृति के समय वर्तमान आवासीय सेक्टर दर अथवा सर्किल दर दोनों में से जो अधिक हो, का 10 प्रतिशत भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में सम्बन्धित संस्था द्वारा विकास प्राधिकरण में जमा करना होगा। यह शुल्क निर्मित क्षेत्र पर आगणित किया जाये। इन कालेजों हेतु जितने क्षेत्र में निर्माण किया जाना है यदि कुल क्षेत्र में से उतने क्षेत्र या उससे कम निर्मित क्षेत्र हैं तो उस कमी तक ही भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लिया जायेगा। भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की धनराशि शहर के विकास हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के अधीन गठित विकास निधि में जमा की जायेगी।

(7) निर्मित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर सामान्य विकास शुल्क भी देय होगी।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–2944(1) / 9आ–3–98–32 एल0यू0सी0 / 96 तददिनांक

उपरोक्त की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(4) उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

एच0पी0 सिंह
अनु सचिव

संख्या–231/9–आ––1–99

प्रेषक,

श्री रामबृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनाँक 01 फरवरी, 1999

विषय, विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास की योजनाओं में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों को खेलकूद मैदान के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1704/9–आ–1–96 दिनांक : 19 अप्रैल, 96 को ऑशिक रूप से संशोधित करते हुए मूझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में की गई व्यवस्थाओं को एकीकृत कर कतिपय नवीन व्यवस्था सहित आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) नर्सरी/प्राइमरी, माध्यमिक व डिग्री कालेज आदि के लिए मानकों के आधार पर भवन निर्माण हेतु भूमि पूर्व व्यवस्थानुसार सेक्टर दर के 40 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) इन शैक्षिक संस्थाओं के मानकों के अनुसार न्यूनतम खेल के मैदान के लिए अलग से भूमि उपलब्ध करायी जाएगी और यह भूमि इस योजना के ओपेन स्पेस/हरित पट्टी में समायोजित होगी। यह भूमि विद्यालय को लाइसेन्स पर केवल खेलके मैदान के लिए रू0 1.00 प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष की दर पर लाइसेन्स फीस पर दी जायेगी। इस भूमि पर केवल खेल के मैदान हेतु आवश्यक निर्माण अनुमन्य होगा, जो 2 प्रतिशत की सीमा से अनाधिक होगा। उपयोग के संबंध में अन्य शर्तें वही होगी जो ग्रीनवेल्ट/ओपेन सरफेस के लिए महायोजना में निर्धारित हो। यह लाइसेन्स 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा और विद्यालय जारी रखने तक, शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में प्रत्येक 10 वर्ष बाद नवीनीकृत किया जाएगा।

(3) उपरोक्त व्यवस्था भविष्य में नियोजित की जाने वाली योजनाओं में की जाएगी। साथ ही वर्तमान योजनाओं में भी लागू किया जाएगा, यदि खेल के मैदान के समतुल्य ओपेन स्पेस/ग्रीनवेल्ट उपलब्ध हो। वर्तमान में खेल मैदान हेतु निर्धारित भूमि को उसी योजना में उपलब्ध ओपेन स्पेस/ग्रीनवेल्ट से समायोजित करने पर इस क्षेत्रफल के बराबर ग्रीनवेल्ट का उपयोग सार्वनिक/सामुदायिक सुविधाओं के लिए किया जाएगा।

(4) इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि योजना के प्रारम्भ में सामुदायिक सुविधाओं को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूल से इण्टर कालेज तक की शैक्षणिक संस्थाओं को योजना के प्रारम्भिक 5 वर्ष में भूमि आवंटन व तदोपरान्त 2 वर्ष तक निर्माण करने तथा नर्सिंग होम प्रथम 5 वर्ष में चालू कराने पर निम्नानुसार दर के आधार पर मूल्य देयता संशोधित करते हुए अन्तर धनराशि वापस की जाएगी :–

(1) **प्राइमरी एव नर्सरी स्कूल, जू0हा0 स्कूल, इण्टर कालेज**

कालेज	दर
(अ) योजना प्रारम्भ होने की तिथिसे 3 वर्ष तक।	(अ) रिहायशी भूखण्ड की दर के 25 प्रतिशत पर।
(ब) 3 वर्ष से 5 वर्ष तक।	(ब) रिहायशी भूखण्ड दर के30: प्रतिशत पर।
(स) 5 वर्ष के उपरान्त।	(स) रिहायशी भखण्ड की दर के 40: प्रतिशत पर।

(2) नर्सिंग होम

(अ) योजना प्रारम्भ होने के 5 वर्ष तक।	(अ) रिहायशी भूखण्ड की दरों पर।
(ब) योजना प्रारम्भ होने के 5 वर्ष के बाद।	(ब) नीलामी द्वारा।

5. शासनादेश संख्या–1704/9–आ–1–98, दिनांक– 19.04. 1996 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा त पढ़ा जाए। शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें/व्यवस्था यथावत रहेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या–231(1)/9–आ–1–99 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1). आयुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
(2). मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
(3). आवास बन्धु–2/3

आज्ञा से,

रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या–2942 / 9आ–3–99–35 एल0यू0सी0 / 99

प्रेषक,

श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 104, माहत्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
3. अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 27 जुलाई, 1999

विषय : उत्तर प्रदेश फिल्म नीति में छविगृहों के निर्माण को प्रात्साहन दिये जाने के उद्देश्य से छविगृहों तथा मल्टीम्पलेक्स को उद्योग का दर्जा दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग–6) को अधिसूचना संख्या–1151 / 77–6–99, दिनांक 22–5–1999 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति में छविगृहों के निर्माण को प्रोत्साहन दिये जाने क उद्देश्य से छविगृहों तथा मल्टीम्पलेक्सस को उद्योग का दर्जा दिया गया है। कृपया संलग्न अधिसूचना के अनुसार महायोजना / आर्दश जानिंग रेगुलेशन में तदनुसार संशोधन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या–2942(1) / 9–आ–3–99–तददिनांक।

उपरोक्त की प्रति संलग्न सहित निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
2. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, आवास बन्धु, विकास भवन लखनऊ।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–6

संख्या : 1151/77–6–1999

लखनऊ : दिनांक मई 22, 1999

//अधिसूचना//

उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति में छविगृहों के निर्माण को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से कतिपय प्राविधान किये गये हैं। छविगृहों तथा मल्टीप्लेक्स को ''उद्योग का दर्जा'' दिये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस उद्योग को प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को प्रदत्त समस्त सुविधायें अनुमन्य की जाएगी।

भवदीय,

अजय प्रकाश वर्मा
औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र.
एवं प्रमुख सचिव

संख्या–1151(1)/77–6–1999 तददिनांक 22–5–99 ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उत्तर प्रदेश के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग ,उत्तर प्रदेश।
5. मनारंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. उद्योग विकास के अधीन समस्त निगम एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
7. उद्योग विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

हरभजन सिंह
विशेष सचिव